राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2270/2014

बलवीर सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर।
3. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, बयाना, जिला भरतपुर।
4. ब्लॉक विकास अधिकारी, पंचायत समिति बयाना, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.12.2014
आदेश की दिनांक : 09.05.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुखवीर सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.07.1987 को अध्यापक ग्रेड–।।। के पद पर पंचायती राज विभाग द्वारा दी गई थी। उसके पश्चात अपीलार्थी की सेवाएं नियमित की गई। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को नोटिस प्रेषित कर मांग रखी कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति की दिनांक से सेवा की गणना करते हुए अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाए। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान नहीं किया गया है, जिसे प्रदान किये जाने के आदेश पारित किये जावें।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से इस अपील में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने के संबंध में परीक्षण करें एवं अपीलार्थी यदि तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होता है तो उसे तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नियमानुसार प्रदान किया जाये।
4. इस आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)